

आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXX VI (3)/ 2018 / 20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा जारी उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 तथा शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)/2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या 152/XXX(2)/ 19/30(13)2017 दिनांक 07 जून, 2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महिला कल्याण विभाग के विभिन्न संवर्गों के स्थानान्तरण हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति दिनांक 14 जून, 2019 के क्रम में श्री रामकरण पाण्डे, केयर-टेकर, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, देहरादून को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 03 से कालम 04 में उल्लिखित संस्था में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क.स.	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री रामकरण पाण्डे	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह देहरादून।	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह पौड़ी गढ़वाल।	जनहित में

उक्त स्थानान्तरित केयर-टेकर को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए तत्काल कार्यभार से मुक्त कर नवीन तैनाती स्थान पर योगदान कराना सुनिश्चित करे।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

निदेशालय, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रसंख्या 279 / म.क./सी.पी.ओ./स्था./स्थानान्तरण/ 2019-20

दिनांक 24 जून, 2019

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. अपर मुख्य सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर सचिव, महिला कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/देहरादून।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/देहरादून।
5. जिला प्रोबेशन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/देहरादून।
6. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष।
7. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित जिला प्रोबेशन अधिकारी।
8. सम्बन्धित पत्रावली

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/ XXX VI (3)/ 2018 / 20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा जारी उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 तथा शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)/2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या 152/XXX(2)/ 19/30(13)2017 दिनांक 07 जून, 2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महिला कल्याण विभाग के विभिन्न संवर्गों के स्थानान्तरण हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति दिनांक 14 जून, 2019 के क्रम में श्री अनिल सिंह, केयर-टेकर, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, पौड़ी गढ़वाल को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 03 से कालम 04 में उल्लिखित संस्था में एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र.स.	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
2	श्री अनिल सिंह	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह पौड़ी गढ़वाल।	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह देहरादून।	जनहित में

उक्त स्थानान्तरित केयर-टेकर को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए तत्काल कार्यभार से मुक्त कर नवीन तैनाती स्थान पर योगदान कराना सुनिश्चित करे।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

निदेशालय, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रसंख्या 180 / म.क. / सी.पी.ओ. / स्था. / स्थानान्तरण / 2019-20

दिनांक 24 जून, 2019

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर सचिव, महिला कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल / देहरादून।
4. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल / देहरादून।
5. जिला प्रोबेशन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल / देहरादून।
6. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष।
7. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित जिला प्रोबेशन अधिकारी।
8. सम्बन्धित पत्रावली

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/ XXX VI (3)/ 2018 / 20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा जारी उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 तथा शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)/2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या 152/XXX(2)/ 19/30(13)2017 दिनांक 07 जून, 2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महिला कल्याण विभाग के विभिन्न संवर्गों के स्थानान्तरण हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति दिनांक 14 जून, 2019 के क्रम में श्री किशन लाल, अनुसेवक, राजकीय बाल गृह, हरिद्वार को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 03 से कालम 04 में उल्लिखित कार्यालय में एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र.स.	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री किशन लाल	राजकीय बाल गृह हरिद्वार	जिला प्रोबेशन कार्यालय पौड़ी गढ़वाल	जनहित में

उक्त स्थानान्तरित अनुसेवक को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए तत्काल कार्यभार से मुक्त कर नवीन तैनाती स्थान पर योगदान कराना सुनिश्चित करे।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

निदेशालय, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रसंख्या 281 / म.क. / सी.पी.ओ. / स्था. / स्थानान्तरण / 2019-20
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक 24 जून, 2019

1. अपर मुख्य सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर सचिव, महिला कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल / हरिद्वार।
4. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल / हरिद्वार।
5. जिला प्रोबेशन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल / हरिद्वार।
6. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष।
7. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित जिला प्रोबेशन अधिकारी।
8. सम्बन्धित पत्रावली

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/ XXX VI (3)/ 2018 / 20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा जारी उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 तथा शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)/2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या 152/XXX(2)/ 19/30(13)2017 दिनांक 07 जून, 2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महिला कल्याण विभाग के विभिन्न संवर्गों के स्थानान्तरण हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति दिनांक 14 जून, 2019 के क्रम में श्री विजयानन्द रतूडी, अनुसेवक, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, देहरादून को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 03 से कालम 04 में उल्लिखित कार्यालय में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र.स.	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
2	श्री विजयानन्द रतूडी	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह देहरादून	किशोर न्याय बोर्ड उत्तरकाशी	जनहित में

उक्त स्थानान्तरित अनुसेवक को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए तत्काल कार्यभार से मुक्त कर नवीन तैनाती स्थान पर योगदान कराना सुनिश्चित करे।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

निदेशालय, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रसंख्या 282/म.क./सी.पी.ओ./स्था./स्थानान्तरण/ 2019-20
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक 24 जून, 2019

1. अपर मुख्य सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर सचिव, महिला कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
5. जिला प्रोबेशन अधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
6. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष।
7. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित जिला प्रोबेशन अधिकारी।
8. सम्बन्धित पत्रावली

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/ XXX VI (3)/ 2018 / 20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा जारी उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 तथा शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)/2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या 152/XXX(2)/ 19/30(13)2017 दिनांक 07 जून, 2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महिला कल्याण विभाग के विभिन्न संवर्गों के स्थानान्तरण हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति दिनांक 14 जून, 2019 के क्रम में श्री श्याम सिंह, अनुसेवक, किशोर न्याय बोर्ड, उत्तरकाशी को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 03 से कालम 04 में उल्लिखित संस्था में एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र.स.	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री श्याम सिंह	किशोर न्याय बोर्ड उत्तरकाशी	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह देहरादून	जनहित में

उक्त स्थानान्तरित अनुसेवक को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए तत्काल कार्यभार से मुक्त कर नवीन तैनाती स्थान पर योगदान कराना सुनिश्चित करे।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

निदेशालय, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रसंख्या 283 / म.क. / सी.पी.ओ. / स्था. / स्थानान्तरण / 2019-20
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक 24 जून, 2019

1. अपर मुख्य सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर सचिव, महिला कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून / उत्तरकाशी।
4. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून / उत्तरकाशी।
5. जिला प्रोबेशन अधिकारी, देहरादून / उत्तरकाशी।
6. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष।
7. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित जिला प्रोबेशन अधिकारी।
8. सम्बन्धित पत्रावली

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/ XXX VI (3)/ 2018 / 20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा जारी उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 तथा शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)/2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या 152/XXX(2)/ 19/30(13)2017 दिनांक 07 जून, 2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महिला कल्याण विभाग के विभिन्न संवर्गों के स्थानान्तरण हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति दिनांक 14 जून, 2019 के क्रम में श्री आशीष नौटियाल, अनुसेवक, जिला प्रोबेशन कार्यालय, पौड़ी गढ़वाल को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 03 से कालम 04 में उल्लिखित संस्था में एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र.स.	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री आशीष नौटियाल	जिला प्रोबेशन कार्यालय पौड़ी गढ़वाल	राजकीय बाल गृह हरिद्वार	जनहित में

उक्त स्थानान्तरित अनुसेवकों को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए तत्काल कार्यभार से मुक्त कर नवीन तैनाती स्थान पर योगदान कराना सुनिश्चित करे।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

निदेशालय, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रसंख्या 294 / म.क. / सी.पी.ओ. / स्था. / स्थानान्तरण / 2019-20
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक 24 जून, 2019

1. अपर मुख्य सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर सचिव, महिला कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल / हरिद्वार।
4. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल / हरिद्वार।
5. जिला प्रोबेशन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल / हरिद्वार।
6. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष।
7. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित जिला प्रोबेशन अधिकारी।
8. सम्बन्धित पत्रावली

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXX VI (3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा जारी उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 तथा शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)/2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या 152/XXX(2)/19/30(13)2017 दिनांक 07 जून, 2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महिला कल्याण विभाग के विभिन्न संवर्गों के स्थानान्तरण हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति दिनांक 14 जून, 2019 के क्रम में श्री मकान सिंह कण्डारी, मुख्य सहायक, जिला प्रोबेशन अधिकारी, कार्यालय, पौड़ी गढ़वाल को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 03 से कालम 04 में उल्लिखित कार्यालय में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र.स.	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मकान सिंह कण्डारी	जिला प्रोबेशन कार्यालय, पौड़ी गढ़वाल	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, कार्यालय देहरादून	जनहित में

उक्त स्थानान्तरित मुख्य सहायक को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए तत्काल कार्यभार से मुक्त कर नवीन तैनाती स्थान पर योगदान कराना सुनिश्चित करे।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

निदेशालय, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रसंख्या 285/म.क./सी.पी.ओ./स्था./स्थानान्तरण/ 2019-20

दिनांक 24 जून, 2019

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर सचिव, महिला कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/देहरादून।
4. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी महिला कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/देहरादून।
6. जिला प्रोबेशन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/देहरादून।
7. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित जिला प्रोबेशन अधिकारी।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/ XXX VI (3)/ 2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा जारी उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 तथा शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)/2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या 152/XXX(2)/ 19/30(13)2017 दिनांक 07 जून, 2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महिला कल्याण विभाग के विभिन्न संवर्गों के स्थानान्तरण हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति दिनांक 14 जून, 2019 के क्रम में जिला प्रोबेशन कार्यालय पौड़ी गढ़वाल में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग का कोई कार्मिक कार्यरत न होने के कारण श्री रणजीत सिंह गुसाई, वरिष्ठ सहायक, जिला प्रोबेशन अधिकारी, कार्यालय, देहरादून को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 03 से कालम 04 में उल्लिखित कार्यालय में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है। श्री रणजीत सिंह गुसाई, वरिष्ठ सहायक का वेतन मुख्य सहायक के रिक्त पद के सापेक्ष आहरित किया जायेगा।

क्र.स.	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री रणजीत सिंह गुसाई	जिला प्रोबेशन कार्यालय, देहरादून।	जिला प्रोबेशन कार्यालय, पौड़ी गढ़वाल	जनहित में

उक्त स्थानान्तरित वरिष्ठ सहायक को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए तत्काल कार्यभार से मुक्त कर नवीन तैनाती स्थान पर योगदान कराना सुनिश्चित करे।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

निदेशालय, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रसंख्या 236 / म.क. / सी.पी.ओ. / स्था. / स्थानान्तरण / 2019-20

दिनांक 24 जून, 2019

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. अपर मुख्य सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर सचिव, महिला कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल / देहरादून।
4. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल / देहरादून।
5. जिला प्रोबेशन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल / देहरादून।
6. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित जिला प्रोबेशन अधिकारी।
7. सम्बन्धित पत्रावली

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।